नगर पंचायत दौलतपुर चौक, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2011 से 3/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत दौलतपुर चौक, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के प्रधान तथा सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुरक्षा देवी	01.04.2011 से 31.03.2013

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सतीश ठाकुर	1.4.2011 से 31.3.2013

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत दौलतपुर चौक के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/13 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	₹ लाखों में
1	उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	5.1	155.84
2	स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय करना	6	50.76
3	दिनांक 31.3.2013 तक गृह कर की लम्बित वसूली	7.2	21.26

4	दुकानों/स्टालों के किराए की लम्बित वसूली	7.3	0.76
5	चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	7.4	0.48
6	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की लम्बित वसूली	7.5	0.40
7	दुकानदारों से प्रतिभूति की वसूली न करना	7.7 (i)	1.07
8	संविदाकार को अनियमित भुगतान	9.1	8.43
9	रायल्टी की राशि की कटौती न करना	9.2	0.57

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों पर समीक्षा सुझावानुसार पूर्ण कार्रवाई करके सटिप्पणी उत्तर इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु सटिप्पण उत्तर इस कार्यालय को अभिलम्ब प्रस्तुत करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के लेखाओं का अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.1.2014 से 24.2. 2014 तक दौलतपुर में किया गया। माह 3/2012, 3/2013 आय के लिए तथा मास 3/2012, 3/2013 के लेखाओं का चयन विस्तृत जॉच हेतु किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

Disclaimer:- "The Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling offiicer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibilty for any misinformation or non information on the part of auditee. "

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत दौलतपुर के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2013 का अंकेक्षण शुल्क ₹23100/– आंका गया है। सचिव नगर पंचायत दौलतपुर को अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 21/2014 दिनांक 01.03.2014 के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 095417 दिनांक 10.03.2014 के माध्यम से भिजवा दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत दौलतपुर की अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक "स्वयं स्त्रोतों" तथा "अनुदानों" की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट (i) पर संलग्न है।

अवधि 3/2013 तक रोकड़ वही तथा बैंक खातों के मिलान से सम्बन्धित विस्तृत विवरण (BRS) परिशिष्ट (ii) पर संलग्न है।

5 सरकारी अनुदानः–

नगर पंचायत की अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत सरकार से प्राप्त अनुदानों से था। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा जो अनुदान प्राप्त किए गए उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	विवरण	परिशिष्ट
1	3rd FC	(iii)
2	13th FC	(iv)
3	Rehan Basera	(v)
4	SJSRY	(vi)
5	CRF	(vii)
6	M/O ULB Roads	(viii)
7	RGURF	(ix)
8	DC Una	(x)
9	Welfare office Una	(xi)

5.1 ₹15584691 के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करनाः–

सचिव नगर पंचायत दौलतपुर चौक द्वारा परिशिष्ट "III" से परिशिष्ट "xi" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ₹15584691/– की राशि के सरकारी अनुदानों का अवधि 4/2011 से 3/2013 तक व्यय किया गया है परन्तु व्यय किए गए अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बन्धित विभाग को जारी नहीं किए गए है। इस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए व उपयोग की जा चुकी सरकारी अनुदानों की राशि के अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिलम्ब जारी किए जाए।

क्र0सं0	अनुदान का नाम	वर्ष 2011–12 का व्यय	वर्ष 2012–13 का व्यय	कुल व्यय
1	3rd FC	2161868	2844102	5005970
2	13th FC	1655708	1310428	2966136
3	Rehan Basera	502070	–	502070
4	SJSRY	58500	58950	117450
5	CRF	554855	86048	640903
6	M/O ULB Roads	531472	736101	1267573
7	RGURF	3207539	1310585	4518127
8	DC Grants	6465	530000	536465
9	Welfare	20000	10000	30000
		8698477	**6886214**	**15584691**

5.2 ₹46.94 लाख अनुदान को उपयोग न करनाः–

लेखा परीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनाँक 31.3.2013 तक ₹4694288/– के अनुदानों को व्यय नहीं किया गया था। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट (i) में दिया गया है। अतः शेष अनुदान राशि का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 अनुदान रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

नगर पंचायत दौलतपुर चौंक द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त किए गए सरकारी अनुदानों की प्राप्ति तथा व्यय से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है। वांन्छित आवश्यक रजिस्टर के अनुरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः अभिलेख अब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजटः–

₹5076315/– स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्ययः–

नगर पंचायत दौलतपुर चौंक द्वारा अवधि 4/2011 से 3/2013 तक स्वीकृत बजट की राशि से ₹5076315/– का अधिक व्यय किया गया है।

वर्ष	*स्वीकृत बजट*	*वास्तविक व्यय*	*अन्तर (अधिक व्यय)*
2011–12	7561000	11684298	4123298
2012–13	8922000	9875017	953017
			5076315

नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया है परन्तु अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। यह अनियमित है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित रूप से अधिक किये गये व्यय को हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए भविष्य में स्वीकृति बजट के अनुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

6 आयः–

नगर पंचायत द्वारा प्राप्त आय के स्त्रोत निम्न है विस्तृत विवरण परिशिष्ट "xii" पर संलग्न है।

क्र0सं0	**आय शीर्ष**
1	House tax
2	Rent
3	Teh.Bazari
4	Parking fees
5	Electricity cess
6	Liquor cess
7	Chula Tax
8	Interest
9	Birth/Death certificate
10	Building Map fees
11	Misc.

7.1 ₹2249529/–गृह कर, दुकान किराये व चूल्हा कर दिनांक 31.3.13 तक वसूली योग्य शेषः–

नगर पंचायत की दिनांक 31.3.2013 तक निम्न विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹2249529/–की वसूलियाँ शेष थी।

क्र0सं0	विवरण	राशि	परिशिष्ट
(i)	गृह कर	2126274	xiii
(ii)	दुकान किराया	75705	xiv
(iii)	चूल्हा टैक्स	47550	xv
		2249529	

अतः पंचायत शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

7.2 गृह कर के रूप में दिनॉक 31.3.2013 को ₹2126274 की वसूली शेषः–

दिनांक 31.3.2013 को गृह कर के रूप में ₹2126274/–की राशि विभिन्न करदाताओं/गृह स्वामियों से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना वांछित है तथा दोषी करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधनों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में काफी लम्बे समय से करों के भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर इसका प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है जिनकी वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

7.3 दुकानों/स्टालों के किराये ₹75705/–की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों कारोबारियों को प्रदान किये गये स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं की जा रही है जिस के कारण दिनांक 31.03.2013 को ₹75705/–की वसूली शेष थी। किराए की वसूली के लिए सचिव द्वारा दुकानदारों को नियमानुसार कोई भी नोटिस जारी नहीं किये

गये थे। अतः हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दोषी दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएँ तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानो के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए।

7.4 नगर पंचायत द्वारा चूल्हा टैक्स ₹47550/—की वसूली न करनाः—

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक चूल्हा टैक्स की राशि ₹47550/—की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 में इस प्रकार के कर की वसूली का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर इसका नियमितिकरण करवा कर वसूली हेतु प्रभावी पग उठाए जाएँ।

7.5 दूरसंचार कम्पनियों द्वारा पंचायत क्षेत्र में लगाए गए मोबाईल टावरों की नवीनीकरण शुल्क ₹40000/—की वसूली न करनाः—

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः डी0ई0वी0—(आई0टी0) 2005/विविध दिनांक 22.8.2006 द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियॉ अपने टावर लगाती है तो उनसे ₹10,000/—टावर इन्स्टालैशन शुल्क तथा ₹5000/—प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी करनी अनिवार्य है। जॉच में पाया गया कि निम्न कम्पनियों ने नगर पंचायत क्षेत्र में अपने मोबाईल टावर स्थापित किए है तथा उनसे नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई जिसकी वसूली शीध्र की जाए।

	कम्पनी का नाम	**दिनांक 31.3.2013 तक वसूली योग्य शेष राशि**
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	23750
2	रिलायंस	13750
3	एयरटेल	2500
		40000

7.6 मदिरा शुल्क की वसूली न करनाः—

सचिव नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2012—13 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर ₹1 प्रति बोतल की दर से शराब कर की वसूली नहीं की गई है। सम्बन्धित

विभाग से विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख/आंकड़े अब एकत्रित करके अपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

7.7 (i) नीलाम की गई दुकानों से ₹106998/– धरोहर/प्रतिभूति राशि की कम वसूलीः–

निदेशेक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0एस0जी0–(एफ)(6)–1/85–IV दिनाँक 21.12.2001 की मद संख्या 7 के अनुसार दुकानों की नीलामी के उपरान्त जिन दुकानदारों को दुकानों का आंबटन किया जाता है उनसे ₹10000 प्रति दुकान की दर से प्रतिभूति/धरोहर राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा पार्किंग कम्पलैक्स में नवनिर्मित दुकानों की नीलामी की गई है परन्तु दुकानदारों से नवनिर्मित दुकानों की नीलामी के उपरान्त निर्धारित दर से प्रतिभूति/धरोहर राशि की वसूली न करने के कारण ₹106998/– की कम राशि की वसूली की गई है विस्तृत विवरण निम्नलिखित है जिसकी वसूली शीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

नीलामी की तिथि	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	प्रतिभूति राशि वसूली गई	वसूली योग्य राशि	अन्तर (कम वसूली)
17.9.2012	4	श्री सन्नी कुमार	3142	10000	6858
	5	श्रीमती सुकर्मा	3162	10000	6838
	6	श्री जसवन्त सिंह	3080	10000	6920
	7	श्री नरेश कुमार	3100	10000	6900
	8	श्री जसवीर सिंह	3132	10000	6868
	9	श्री परमजीत सिंह	3112	10000	6888
	10	श्री मनोज	3100	10000	6900
	66	श्री हुसैन	3060	10000	6940
1.10.2012	25	श्री आशुतोष	6344	10000	3656
	44	श्री विजय रतन	5468	10000	4532
	45	श्री रविन्द्र	5140	10000	4860
	46	श्री सतीश चन्द्र	5140	10000	4860
	47	श्रीमती किरण शर्मा	5752	10000	4248
	48	श्री राजीव एण्ड आशीष	7344	10000	2656
	49	श्री विक्रम	7078	10000	2922
	50	श्री पदमवीर	7540	10000	2460
	53	श्री सुरेन्द्र	7242	10000	2758

54	श्री विनोद सिंह	7140	10000	2860
56	श्री जगदेव सिंह	7426	10000	2574
60	श्री संजीव कुमार	3300	10000	6700
64	श्री विनय कालिया	3200	10000	6800
				106998

(ii) नगर पंचायत की बैठक दिनांक 9.7.2012 की मद संख्या 469 में दुकान संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 25, 26 के आंबटन बारे यह निर्णय लिया गया कि, "यह दुकानें प्राथमिकता के आधार पर कम से कम ₹1500 किराए पर पुराने दुकानदारों को दे दी जाए क्योंकि जिस समय पुरानी दुकानें खाली करवाई थी उस समय पुरानें दुकानदारों को यह आश्वासन दिया गया था कि इन दुकानों को दोबारा बनाकर उन्हें ही दिया जाएगा। नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा दुकान संख्या 4 को श्री सन्नी कुमार को दिनांक 17.9.2012 को आंबटित किया गया था। श्री सन्नी कुमार का किराया ₹1540 प्रति मास निर्धारित किया गया परन्तु जाँच में पाया गया कि नव निर्मित पार्किंग कम्पलैक्स का निर्माण करने से पूर्व जिन दुकानदारों से निर्माण स्थल की दुकानें खाली करवाई गई थी उनमें श्री सन्नी कुमार नाम का कोई भी दुकानदार नहीं था। अतः उक्त प्रकरण की जाँच की जाए तथा अनियमित रूप से आंबटित की गई दुकान की नियमानुसार नीलामी की जाए क्योंकि दिनाँक 1.10.2012 को हुई नीलामी में इसी कम्पलैक्स में स्थित दुकानों का किराया ₹2680/– से ₹3770/– निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनियमित रूप से उक्त दुकान के आंबटन करने के कारण पंचायत को प्रतिमाह वित्तीय हानि हुई है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) दिनांक 5.02.2007 को ट्रस्ट सराय दौलतपुर चौंक की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी तीन वर्षों तक संराय में निर्मित 6 दुकानों का किराया जो मास 3/2007 में लिया जा रहा था न बढ़ाया जाए तथा संराय का प्रभार/सम्पत्ति नगर पंचायत दौलतपुर को सौंप दी गई। जाँच मे ंपाया गया कि शर्तों के अनुसार मास 3/2010 से दुकानों के किराए में वृद्धि बनती थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराए में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011 के पैरा संख्या 6.4 (iii) द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराए में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। अतः नियमानुसार किराए में वृद्धि की जाए तथा दुकानदारों से अनुबन्ध किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दुकान का नाम	किराया
श्री तरसेम लाल	₹75
श्री जगमोहन	₹800
श्री राजकुमार	₹200
श्री चैन सिंह	₹800
श्री राकेश	₹800
श्री प्रेम कुमार	₹100

7.8 तहबाजारी ₹190 की राशि जमा न करने बारेः–

नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा निम्नानुसार वसूली गई तह बाजार की राशि ₹190/– न तो रोकड़ वही में दर्ज किया गया था और न ही बैंक में जमा करवाया गया था। आपत्ति उपरान्त इस राशि को वसूल कर लिया गया तथा जमा करने बारे पुष्टि कर ली गई है।

वर्ष	रसीद सं0	वसूली गई राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	अन्तर	टिप्पणी
2011–12	63 से 71	90	–	90	₹90 की वसूली जी–8 संख्या 111/25 दिनाँक 24.2.2014 द्वारा कर ली गई है
2012–13	72–154	830	730	100	₹100 की वसूली जी–8 संख्या 111/25 दिनाँक 24.2.2014 द्वारा कर ली गई है।
				190	

8 स्थापनाः–

नगर पंचायत दौलतपुर में अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "xvi" पर संलग्न है।

8.1 चालक तथा वर्क सुपरवाईजर की अनियमित नियुक्तिः–

सचिव नगर पंचायत दौलपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जो कि परिशिष्ट "xvi" पर संलग्न है के अनुसार नगर पंचायत द्वारा चालक तथा वर्क सुपरवाईजर का एक–एक पद अनुबन्ध पर भरे गये है परन्तु नियमानुसार इन पदों पर नियुक्ति से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त न करने बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए। अतः इन पदों पर की गई नियुक्तियों को हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाए।

8.2 ₹275432 विभागीय चार्जिज जमा करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कर्मचारी (पैन्शन ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 के नियम 16 के अनुसार नगर पंचायत के स्वीकृत कुल बजट का 1% भाग निदेशक, शहरी विकस विभाग शिमला के कार्यालय में खातों के रख रखाव हेतु विभागीय चार्जिज के रूप में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु खातों का रख रखाव वर्तमान समय मे ंनगर पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर ही किया जा रहा है तथा उक्त नियमों के मद्देनजर नगर पंचायतों द्वारा स्वीकृत बजट का 1% भाग पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि को सुदृढ करने के लिए निधि में जमा करवाया जा रहा है। निम्नानुसार ₹275432/— की राशि पैन्शल एण्ड ग्रेच्युटी निधि में शीघ्र जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	स्वीकृत बजट	1% भाग	गत वर्षों का बकाया	जमा योग्य कुल राशि	जमा करवाई गई राशि	शेष राशि जमा करवाई जानी है
2012—13	17667000	176670	298762	475432	200000	275432

8.3 पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि जमा न करनाः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या यू0डी0—II (बी) (10)—2/2000—16394—16442 दिनाँक 20.12.2003 के अनुसार दिनाँक 1.12.2003 से स्वीकृत पदो ंके अधिकतम वेतनमान का 12% तथा 5% की दर से राशि पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाई जानी है चाहे यह पद खाली ही क्यों न हो। जाँच में पाया गया कि दिनाँक 15.05.2003 के उपरान्त भरे गए पदों जोकि स्वीकृत थे 12% तथा 5% की दर से अधिकतम वेतनमान की राशि पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि में जमा नहीं करवाई गई है। अतः यह मामला निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के ध्यान में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8.4 कर्मचारियों (सामान्य भविष्य निधि) की कटौती से सम्बन्धित खाते बही का रख रखाव न करनाः—

निम्न कर्मचारियों के चयनित मासों के वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की कटौती तो की गई थी परन्तु उसके रख रखाव हेतु

खाता बही तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई भविष्य निधि की राशि सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में जमा करने बारे पुष्टि नहीं हो सकी। अतः वांन्छित अभिलेख शीध्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	मास		कर्मचारी का नाम	अवधि	मास	दर	राशि
11 से 13	3/2012	(i)	श्री सतीश कुमार	4/11 से 2/12	4	7000	28000
		(ii)	श्रीमती आशा राणा		4	1500	6000
		(ii)	श्रीमती अनीता देवी		4	1500	6000
		(iv)	श्री अशर कुमार		4	1000	4000
		(v)	श्री प्रमोद कुमार		4	2480	9920
		(vi)	श्रीमती पुष्पा		4	1000	4000
		(vii)	श्रीमती आशा		4	1000	4000
76 से 78	3/2012	(i)	श्री सतीश कुमार	3/2012	1	7000	7000
		(ii)	श्रीमती आशा राणा		1	1500	1500
		(ii)	श्रीमती अनीता देवी		1	1500	1500
		(iv)	श्री अशर कुमार		1	1000	1000
		(v)	श्री प्रमोद कुमार		1	2480	2480
		(vi)	श्रीमती पुष्पा		1	1000	1000
		(vii)	श्रीमती आशा		1	1000	1000
50 से 52	3/2013	(i)	श्री सतीश कुमार	1/13 से 3/13	3	7000	21000
		(ii)	श्रीमती आशा राणा		2	1500	3000
					1	3000	3000
		(ii)	श्रीमती अनीता देवी		3	1500	4500
		(iv)	श्री अशर कुमार		3	1000	3000
		(v)	श्री प्रमोद कुमार		3	2912	8736
		(vi)	श्रीमती पुष्पा		3	1000	3000
		(vii)	श्रीमती आशा		3	1000	3000

8.5 पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि की रोकड़ वही तैयार न करने बारेः–

नगर पंचायत दौलतपुर चौक द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–II (बी) (10)–2/2000–16394–16442 दिनाँक 20.12.2003 के अनुसार अधिकतम वेतनमान का 12**%** तथा 5**%** की दर से तथा स्वीकृत बजट से 1**%** की दर से निम्नविवरणानुसार कटौती तो की गई है परन्तु नियमानुसार पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई है अपेक्षित आवश्यक अभिलेख अब तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	मास	अवधि	राशि (12%+5%)
14	3/2012	11/11 से 2/12	9920
15	3/2012	11/11 से 2/12	100400
16	3/2012	11/11 से 2/12	71848
79	3/2012	3/2012	25100
80	3/2012	3/2012	2480
81	3/2012	3/2012	17962
82	3/2012	1**%** की दर से जमा राशि	100000
53	3/2013	1/13 से 3/13	75300
54	3/2013	1/13 से 3/13	53886
55	3/2013	1**%** की दर से जमा राशि	100000

8.6 वेतन भुगतान पंजिका का रख रखाव न करनाः–

नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा अपने कर्मचारियों को अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक की वेतन भुगतान पंजिका तैयार नहीं की गई है। अतः वांन्छित अभिलेख अब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 निर्माण कार्य का नामः– C/O Proposed Parking opposite Nager Panchyat office for N.P. Daulatpur chowk.

शीर्ष का नामः– आर जी यू आर एफ

संविदाकार का नामः– मै0 ओम प्रकाश शर्मा एण्ड सन्ज दौलतपुर चौक।

आंबटन पत्र संख्याः– 01–116–21 एन0पी0/डी0पी0आर0 दिनांक 1.2.2010

बिलः– आठवें चलत बिल से 16वें अन्तिम बिल तक।

₹13940/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित मापन पुस्तिकाओं में की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि मदों की रिकार्ड प्रविष्टियों की निम्नविवरणानुसार गलत गणना करने के कारण संविदाकार को ₹13940/– का अधिक भुगतान किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक की गई भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

मापन पुस्तिका सं0	पृ0 सं0	मद सं0	मद का नाम	गणना ली गई	उचित गणना	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
37	12	2	सी0सी0 1:1½:3	15.60X.60X.30=4.68 घन मी0	2.80 घन मी0	1.88 मी0	3780	7106
35	38	2/11	Providing tor steel reinforcement (steel inbeams b/w D6-D7) 25MM dia	2x(5+.40+.40-.04-.04)=14.44 RMT	11.44RMT	3 RMT @ 3.85 Kg =11.55Kg	48.50	560
37	64	6	Providing tor steel rig strips 8mm dia	(1.60-.10-.04-.12-.02-.60)=1.428 1.428/.10=14 Nos	.828/.10=8 Nos			
				4x2x14x1.096=122.75RMT	4x2x8x1.096=70.14 RMT	52.61 RMT @.39 Kg=20.51 Kg	48.50	995
37	71	Providing steel (10 MM dia)	7x8.36=234.08 RMT		58.52 RMT	175.56 RMT@.62 Kg= 108.84 Kg	48.50	5279
								13940

9.1 सविदाकर को ₹843000 का अनियमित भुगतानः–

संविदाकार द्वारा निम्नविवरणानुसार 10 सी0सी0 क्लेम ₹843000/– का भुगतान किया गया जोकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी0जी0 डब्लयू/एम0ए0एन0/167 दिनाँक 1.12.2008 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत है। उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा सी0पी0डब्लयू0डी0 मैनुअल (वर्कस) 2007 के पैरा 32.10 के सन्दर्भ में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, " Clause 10(CC) will be applicable in contracts where the stipulated period for completion is more than 18 months." संविदाकार को नगर पालिका दौलतपुर द्वारा कार्य आंबटन पत्र संख्या 116–121 एन0पी0/डी0पी0आर0 दिनांक 1.2. 2010 द्वारा किया गया था तथा पत्र की शर्तों के अनुसार कार्य को 12 मास में पूर्ण किया जाना था। अतः संविदाकार को नियमों के विरूद्ध किए गए 10 सी0सी0 दावे ₹843000/– के भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अनियमित रूप से किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	**मास**	**10 सी0सी0 क्लेम की राशि**
6	3/2011	350000
10	3/2012	493000
		843000

9.2 रायल्टी ₹56725/– की कटौती न करनाः–

हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल्ज (कनसैशन) रिवाईज्ड रूल्ज 1971 के नियम 4 की तालिका III में दी गई दरों के अनुसार निर्माण में प्रयोग होने वाले खनिजों पर रायल्टी की वसूली का प्रावधान है। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न संविदाकारों से परिशिष्ट "xvii" के अनुसार 2836.27 टन खनिज सामग्री का क्रय किया गया था। उनके द्वारा जमा करवाई गई रायल्टी के एम फार्म अभिलेख में उपलब्ध न थे और न ही उनसे नियमानुसार रायल्टी की कटौती की गई थी। अतः तालिका III में दी गई दरों के अनुसार संविदाकारों से क्रय किए गए खनिजों 2836.27 टन के लिए ₹20 प्रति टन की दर से ₹56725 उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि सरकारी खजाने में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

9.3 आर0सी0सी0 कार्य में सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक न करवानाः–

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के न्यू अकाऊंटस मैनुअल के पैरा 11.6(4)(vi) के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य के लिए 100% टैस्ट चैक तथा अधिशासी अभियन्ता का 10% से

15% तक टैस्ट चैक करवाया जाना अनिवार्य है परन्तु निर्माण कार्यों में नियमानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा टैस्ट चैक नहीं किया जा रहा है यह अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों का नियमानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा टैस्ट चैक किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार गलत/अधिक भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके।

10 सरकारी कोष में ₹2985/– जमा न करना:–

हिमाचल प्रदेश "Registerstion of Marriage Rules 2004" के अनुसार परिशिष्ट "xviii" पर लगाए गए विवरण के अनुसार नगर पंचायत दौलतपुर चौंक द्वारा ₹2985 की राशि विवाह पंजीरण शुल्क की प्राप्त की गई है परन्तु नियमानुसार राशि को राजकोष में जमा करवाने की अपेक्षा नगर पंचायत द्वारा अपने ही पास रखा जा रहा है यह अनियमित है। अतः ₹2985/– की राशि को नियमानुसार चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

11 न्यायालयों में लम्बित मामलों:–

सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर चौंक द्वारा परिशिष्ट "xix" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विभिन्न मामले न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित है। अतः निर्णय आने पर तदानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

12 क्रय समिति का गठन न करना:–

नगर पंचायत दौलतपुर द्वारा ₹3000 से ऊपर मूल्य की वस्तुओं का क्रय किया गया है परन्तु हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 122 के अनुसार ₹3000 से ₹100000 मूल्य की मदों के क्रय पर क्रय समिति द्वारा वान्छित प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे है यह अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः इस प्रकार के सभी मामलों में नियमानुसार क्रय समिति का प्रमाण पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 गृह कर और चूल्हा टैक्स के बिल जारी न करने बारे:–

नगर पंचायत द्वारा गृहकर और चूल्हा टैक्स के बिलों को नियमित रूप से गृह स्वामियों को जारी नहीं किए जा रहे है और न ही गृहकर समय पर अदा करने पर दी जा रही कटौती की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अभाव में कटौती की जा रही राशि की पुष्टि

अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः प्रतिवर्ष गृहकर और चूल्हा टैक्स के बिल जारी करने तथा दी जा रही कटौती हेतु समय सीमा निर्धारित की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 गृह स्वामियों द्वारा नस्ति संख्या 423 से 470 तक नगर पंचायत दौलतपुर से अनापित्त प्रमाण–पत्र लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए परन्तु नगर पंचायत द्वारा किन व्यक्तियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा कितना गृहकर निर्धारित किया गया से सम्बन्धित मामले अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में सम्बन्धित अभिलेख की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जिन्हें आगामी अंकेखण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरिणकाः–

इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

16 निष्कर्षः– लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(5)79/85/2011 खण्ड–1 दिनांक, 28.4.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

पंजीकृत

2. सचिव नगर पंचायत दौलतपुर चौक, जिला ऊना, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–"क" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूचीः–

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/1982 से 3/1984

1	पैरा–2	अनिर्णीत

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत

3 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1995

1	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ध)	अनिर्णीत

4 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2004

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	अनिर्णीत	
3	पैरा–11	अंशतः निर्णीत	(श्री हेम राज तथा श्री जसवीर सिंह के किराए की वसूली बारे पुष्टि कर ली गई है (1785+1560)
4	पैरा–14	अनिर्णीत	
5	पैरा–15	अनिर्णीत	
6	पैरा–16	अनिर्णीत	
7	पैरा–18	अनिर्णीत	
8	पैरा–20	अनिर्णीत	
9	पैरा–22	अनिर्णीत	
10	पैरा–25	अनिर्णीत	
11	पैरा–26	अनिर्णीत	

12	पैरा–29	अनिर्णीत
13	पैरा–33	अनिर्णीत
14	पैरा–34	अनिर्णीत
15	पैरा–35	अनिर्णीत
16	पैरा–36	अनिर्णीत
17	पैरा–37	अनिर्णीत
18	पैरा–42	अनिर्णीत
19	पैरा–43	अनिर्णीत
20	पैरा–44	अनिर्णीत
21	पैरा–45	अनिर्णीत

5 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–4 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (बी) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (बी) (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–7 (डी) (ii)	अनिर्णीत

6 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/2013 के पैरा 4 में दर्शा दी गई है)
2	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
3	पैरा–5.3	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/2013 में दर्शा दी गई है)

5	पैरा–6 (3) (i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/2013 के पैरा 7.2 में दर्शा दी गई है)
6	पैरा–6 (3) (ii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/2013 के पैरा7.3 में दर्शा दी गई है)
7	पैरा–6 (3) (iii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/2013 के पैरा 7.4 में दर्शा दी गई है)
8	पैरा–6 (3) (iv)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/2013 के पैरा 7.5 में दर्शा दी गई है)
9	पैरा–6 (3) (v)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6.4 (i)	अनिर्णीत	
11	पैरा–6.4 (ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–6.4 (iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा–6.5 (i) (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत	
14	पैरा–6.5 (ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा–7.2.1	अनिर्णीत	
16	पैरा–7.2.2	अनिर्णीत	
17	पैरा–7.2.3	अनिर्णीत	
18	पैरा–7.2.4 (i) (ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा–8	अनिर्णीत	
20	पैरा–9.1 (i)	निर्णीत	(₹33885 की वसूली संविदाकार से निर्माण के चलत बिल मापन पुस्तिका संख्या 33 पृ0 96 पर कर ली गई है)
21	पैरा–9.1 (ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा–9.1 (iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा–9.1 (iv)	अनिर्णीत	
24	पैरा–9.1 (v)	अनिर्णीत	
25	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
26	पैरा–9.3	अनिर्णीत	

27	पैरा–9.4 (i)	अनिर्णीत	
28	पैरा–9.4 (ii)	अनिर्णीत	
29	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
30	पैरा–9.6	अनिर्णीत	
31	पैरा–9.7	अनिर्णीत	
32	पैरा–9.8	अनिर्णीत	
33	पैरा–9.9	निर्णीत	(मद की प्रविष्टि बारे पुष्टि भण्डार पंजिका 4 के पृ0 6.1 पर तथा निविदाओं की पुष्टि कर ली गई है)
34	पैरा–9.10	अनिर्णीत	
35	पैरा–10	अनिर्णीत	